# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या – 38 / 2024

आयुष त्यागी पुत्र स्व. श्री प्रवीण कुमार जाति त्यागी निवासी ग्राम ओदी तहसील व जिला धौलपुर

----- प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार धौलपुर
2. गुड्डी पुत्री होतम
3. रेनू पुत्री प्रवीण कुमार
4. रमेशचन्द पुत्र होतम
5. रमाकान्त पुत्र होतम
6. रूमिला पुत्री होतम
7. विजेन्द्र पुत्र होतम
8. सुमन पत्नि प्रवीण कुमार

जातिगण त्यागी ग्राम ओदी तहसील व जिला धौलपुर

----- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र वास्ते अधीन धारा–136
राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थितिः– श्री किशन सिंह त्यागी एडवोकेट प्रार्थी की ओर से
श्री देवीसिंह कुशवाह एडवोकेट अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 8 की ओर से

दिनांक – 03.02.2025

**<u>निर्णय</u>**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1062 / 488, 1064 / 609, 1068 / 720, 1067 / 610, 1070 / 765, 497,510, 518, 531, 544, 695, 699, 736, 763, 780, 785, 523, 863, 864, 865, 877, 879 वाके ग्राम ओदी तहसील व जिला धौलपुर है। विवादित आराजी में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 सहखातेदार काश्तकार है। इसी प्रकार काबिज काश्त होकर उपयोग व उपभोग कर रहे है। विवादित आराजी पर प्रार्थी के पिता प्रवीण कुमार के देहान्त के बाद नामा0 संख्यार 984 दिनांक 24.05.2023 को तस्दीक किया गया। जिसमें प्रार्थी का वास्तविक आयुष के नाम के स्थान पर घर पर बुलाने वाला नाम आशु दर्ज कर दिया जो गलत है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी में प्रार्थी का नाम आशु के स्थान पर आयुष त्यागी शुद्ध किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्यार 02 लगायत 8 की ओर से श्री देवीसिंह कुशवाह एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया उनकी ओर से कोई जवाब प्रार्थना पत्र पेश नही किया। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो के संबध में रिपोर्ट तहसीलदार धौलपुर से प्राप्त की गई। तहसीलदार धौलपुर ने उनकी रिपोर्ट दिनांक 27.06.2024 में अवगत कराया है कि आशु त्यागी व आयुष त्यागी नाम एक व्यक्ति के है। विरासत का नामा0 दर्ज करते समय परिवार वालों के द्वारा दिए गए दस्तावेजों के आधार पर पुकारू नाम आशु दर्ज कराया गया। रिपोर्ट के साथ जन आधार, आधार कार्ड, राशन कार्ड व 10वीं की मार्कशीट की में भी आयुष त्यागी नाम दर्ज होना बताया है। जमाबंन्दी खाता संख्या 182 ग्राम ओदी, नामा0 984 दिनांक 24.05.23, आवेदन पत्र तहसीलदार दिनांक 02.05.2024 मय पटवारी रिपोर्ट, आधार कार्ड पेश किए है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकॉर्ड में आशु के स्थान पर आयुष त्यागी नाम शुद्ध किये जाने का कथन किया। वकील अप्रार्थीगण ने कोई आपत्ति नही की।

बहस सुनने उपरान्त पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र तहसीलदार धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खाता संख्या 181 ग्राम ओदी तहसील व जिला धौलपुर के खसरा नम्बर 1062/488, 1064/609, 1068/720, 1067/610, 1070/765, 497,510, 518, 531, 544, 695, 699, 736, 763, 780, 785, 523, 863, 864, 865, 877, 879 में दर्ज प्रार्थी का नाम आशु के स्थान पर आयुष त्यागी शुद्ध किये जाने के आदेश दिए जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। परवाना तहसीलदार धौलपुर को जारी कर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 03.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)